



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12677/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर बांसवाड़ा, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी स्वायत शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 06-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 29-3-17 के द्वारा माह सितम्बर, 2016 में प्रपत्र-3 के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी के यहां प्राप्त सूचना के आवेदनों के सम्बन्ध में माह में प्राप्त आवेदनों की संख्या, सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त आवेदनों की संख्या, अन्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त आवेदनों की संख्या, कुल आवेदनों की संख्या एवं माह में निस्तारित आवेदनों के क्रम में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि गत माह में लम्बित आवेदनों की संख्या की जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार की सूचना प्रत्येक माह तैयार नहीं की जाती है। सूचना हेतु प्राप्त आवेदन सीधे ही राज्य लोक सूचना अधिकारी/ निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के नाम से आते हैं जो कि कार्यालय अधीक्षक या अन्य किसी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मार्क कर सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ को भिजवा दिये जाते हैं। यह भी निवेदन किया कि गत माह तक निस्तारित आवेदनों में स्वीकृत/ अस्वीकृत अन्य लोक प्राधिकरण को भेजे गये आवेदनों की संख्या संधारित नहीं की जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी के चाहेअनुसार सूचना सृजित कर उपलब्ध करवाने की अपेक्षा नहीं की

जा सकती। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को पत्र दिनांक 26-4-17 से संसूचित कर दिया गया था।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-1-18 मय संलग्न प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जिन बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है उसके अनुरूप प्रपत्र-3 में सूचना संधारित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उसी रूप में दी जा सकती है जिस रूप में प्रत्यर्थी के पास संधारित है एवं उसके नियंत्रणाधीन है।

8. राजस्थान सरकार, गृह (ग्रुप-5) विभाग के परिपत्र दिनांक 11-8-2006 के द्वारा अधिनियम के जन उपयोगी महत्व को देखते हुए अपेक्षा की गई थी कि प्राप्त होने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने की दृष्टि से समय समय पर जानकारी चाही जा सकती है। अतः यह अपेक्षित है कि सूचना का अधिकार के लिए सृजित वेब-साइट पर प्रपत्र-3 के अनुसार सूचना का संधारण करने की व्यवस्था की जावे। प्रत्यर्थी द्वारा अभी तक भी प्रपत्र-3 के अनुसार सूचना का संधारण नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया गया है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के तहत प्रेषित विनिश्चय विधिसंगत है। परन्तु राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के क्रम में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त परिपत्र की पालना में शीघ्रातिशीघ्र अपने संसाधनों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करवाएं जिससे कि सूचना चाहने वाले आवेदकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रावधित समय सीमा में सूचना प्राप्त हो सके।

9. अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाना समीचीन है।

10. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त